प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 जनवरी **2019**

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 16 - संघ सरकार 'अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की निष्पादन लेखापरीक्षा' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16 – संघ सरकार 'अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की निष्पादन लेखापरीक्षा' संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

आज 'अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की निष्पादन लेखापरीक्षा' पर 2018 की प्रतिवेदन सं. 16 संसद के पटल पर प्रस्तुत करके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने प्रथम ***डिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्ट*** *प्रस्तुत करने की ओर अग्रणी कदम उठाया है। भारत के सीएजी ने इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो पाठक उपयोगी विशेषताओं जैसे कि विस्तीर्ण डाटा को एक अर्थपरक तरीके से इंफोग्राफिक्स के प्रयोग से प्रस्तुत करना, सरल नेवीगेशन टूल्स का प्रयोग जो पाठको को परस्पर जुड़े डाटा और जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है तथा खोज कार्यात्मकता और वांछित विषय या डाटा को डाउनलोड करने के फीचर के साथ एक इंट्रेक्टिव डिजिटल रिपोर्ट विकसित करने के लिए एक पथप्रदर्शक परियोजना आरंभ की।*

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, सीएजी के संस्थान ने भविष्य की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शायी है। इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और यह उम्मीद है कि लोक सभा और राज्य सभा के संबंधित सचिवालय संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किऐ जाने वालीडिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अनुमत करने के लिए कार्यवाही में संचालन की नियमावली में परिवर्तन के लिए कार्रवाई करेंगें।

➢ *आईसीडी तथा सीएफएस का संक्षिप्त विवरण*

मार्च 2017 तक देश में 129 आईसीडी थी, जिनमें से सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश में थी। दिल्ली एनसीआर में स्थित आईसीडी तुगलकाबाद देश की सबसे बड़ी आईसीडी है जो 44 हेक्टेयर भूमि में फैली है। देश के उत्तरोत्तर में स्थित राज्य जम्मू-कश्मीर में एक भी आईसीडी नहीं है तथा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में केवल असम में एक आईसीडी है। देश के 168 सीएफएस में से सर्वाधिक तमिलनाडु में तथा उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में है।

2016-17 मेंदेश में सक्रिय 80 आईसीडी के माध्यम से ₹ 4.27 लाख करोड़ के मूल्य का आयात तथा निर्यात किया गया, जिनमें से ₹ 1.94 लाख करोड़ (कुल व्यापार का लगभग 46 *प्रतिशत*) देश कीशीर्ष पांच आईसीडी नामत:आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली, आईसीडी वाईट फील्ड बैंगलुरू, आईसीडी साबरमती गुजरात, आईसीडी तूतीकोरन, तमिलनाडु तथा आईसीडी गढ़ी हरसरू, हरियाणा से किया गया।

नमूना जांच के लिए नमूने के लिए चयनित 44 आईसीडी तथा 41 सीएफएस में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। रिपोर्ट में ₹ 583.17 करोड़ के मूल्य के अनुमानित राजस्व के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष से युक्त अठाईस पैराग्राफ शामिल है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है:

➢ *आईसीडी तथा सीएफएस के संस्थापन में रूपरेखा की अनुपस्थिति*

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) तथा एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) स्थापित करने के लिए प्रस्तावों हेतु सिंगल विंडों क्लियरेंस के रूप में कार्य करने के लिए 1992 में अंतर मंत्रालय समिति (आईएमसी) गठित की गई थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिशानिर्देश, 1992 आईसीडी तथा सीएफएस संस्थापित करने के लिए आवश्यकताऐं निर्धारित करते है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये दिशानिर्देश कार्यविधि संबंधी है और स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक जांच सूची निर्धारित करते है, जबकिऐसी कोई नीति या रूपरेखा नहीं है जो ऐसे सिद्धांत या लक्ष्य निर्धारित करें जो अंतर मंत्रालय समिति (आईएमसी) सदस्यों को प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में सहायता कर सके। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र को अनियमित छोड़ते हुऐ आईएमसी या इसके घटक मंत्रालयों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य भूमिका और जिम्मेदारी की व्याख्या नहीं की गई है।

- ***आईसीडी और सीएफएस की संख्या और स्थिति पर विश्वस्नीय डाटा की कमी***

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाणिज्य मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय था, जिसके अंतर्गत आईएमसी कार्यरत थी,उसके पास आईसीडी और सीएफएस स्थापित करने और परिचालन संबंधी आधारभूत डाटा जैसे कि उनकी संख्या, स्थान, परिचालन स्थिति (अर्थात् क्रियाशील या बंद), संस्थापित क्षमता, परिचालन क्षमता के अनुसार निष्पादन आदि, अनुपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईटी) भी देश में क्रियाशील आईसीडी और सीएफएस की संख्या पर डाटा प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, क्रियाशील/परिचालित/बंद आईसीडी/सीएफएस की संख्या पर डाटा के एक विश्वसनीय स्रोत की कमी पाई गई।

- ***क्षमता निर्धारण के बिना नए आईसीडी और सीएफएस के लिए अनुमोदन***

सृजित और प्रयुक्त क्षमता के निर्धारण के बिना आईएमसी द्वारा नए आईसीडी और सीएफएस अनुमोदित किए गए थे। जांच किए गए करीब 40% आईसीडी और सीएफएस अपनी स्थापित क्षमता के आधे से कम पर परिचालन कर रहे थे और अन्य एक तिहाई अपनी क्षमता से 50-70 % के मध्य परिचालन कर रहे थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में और देश के प्रमुख बंदरगाह क्षेत्रों के आसपास आईसीडी और सीएफएस का प्रसार है और सृजित क्षमता को कम प्रयुक्त करने के मुख्य कारणों में से एक एक-दूसरे के करीब निकटता में अनेक आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करना है। इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क विभाग के संसाधनों का अधिक विस्तार हुआ।

- ***पर्याप्त अवसंरचना के बिना कार्यरत आईसीडी***

आईसीडी और सीएफएस के परिचालन अभिरक्षक कार्गो के प्रहस्तन में सीमाशुल्क क्षेत्र विनियमन (एचसीसीएआर) 2009 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपने संबंधित परिसरों में प्रहस्तन किये जा रहे माल के आयात/निर्यात हेतु आवश्यक अवसरंचना और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जवाबदेह हैं। जांच की गई कुछ आईसीडी में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मूल प्रहस्तन उपकरण जैसे कंटेनरों के लदान तथा उतराई के लिए क्रेन और लिफ्ट ऑफ परिचालनों के लिए स्टैकर उपलब्ध नहीं थे।

- ***खतरनाक वस्तुओं के भंडारण हेतु निर्दिष्ट सीमांकित क्षेत्र और स्थान की अनुपलब्धता***

खतरनाक वस्तुओं के प्रहस्तन और भंडारण के लिए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अनेक मामलें लेखापरीक्षा में देखे गए, जहां आईसीडी/सीएफएस ने खतरनाक वस्तुओं के प्रहस्तन के लिए न तो सीमांकित क्षेत्र और न ही पृथक क्षेत्र उपलब्ध कराया था।

- ***अनिकासित कार्गो का लंबन***

यह देखा गया कि देश भर में जांच किए गए 85 आईसीडी में, 7877 कंटेनरों ने कुल भंडारण क्षेत्र का 1.17 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र लिया गया था जो निस्तारण निपटान के लिए लंबित थे। जिनमे से, लगभग 57 प्रतिशत 3 वर्षों से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित थे। लंबित होने का मुख्य कारण सीमाशुल्क विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब, भागीदार एजेंसियों जैसे संयंत्र संगरोधन और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों से निकासी प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब, कार्गो नष्ट करने के लिए आदेशों के कार्यान्वयन में विलंब और कंटेनरों के पुन: निर्यात में विलंब थे।

अनिकासित कंटेनरों के बीच, लेखापरीक्षा ने खतरनाक अपशिष्ट जैसे मैटल स्क्रैप, नगरपालिका कचरा, उपयोग किए हुए टायर और उपयोग की हुई युद्ध सामग्रियोंके 469 कंटेनर खराब होने वाले माल जैसे खाद्य वस्तु के 262 कंटेनरों और टीक/लकड़ी के लट्ठों के 86 कंटेनर पाये थे।

- ***खतरनाक अपशिष्ट की डंपिंग***

पुराने और खराब रैग्स, पीईटी बोतलों और कचरे के आयात को आईटीसी की अनुसूची 1 के अंतर्गत आयात नीति के अनुसार विनियमित किया जाता है। खतरनाक कचरा (प्रबंधन, प्रहस्तन एवं ट्रांस बाऊंड्री संचालन) नियमावली 2008 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विशेष अनुमति तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी के अन्तर्गत मैटल स्क्रैप और उपयोग किए गए रबड़ टायरों के आयात को विनियमित करती है।

अनिकासित पड़े हुए खतरनाक कचरे के 469 कंटेनर पाए गए जिसमे राजस्थान के तीन आईसीडी में जीवित बम, युद्ध सामग्री स्क्रैप, मुम्बई सीमा शुल्क जोन ॥ के अन्तर्गत एक सीएफएस में उपयोग किए गए टायरों के 92 कंटेनर, खतरनाक रसायनों और मैटल स्क्रैप, आईसीडी तुगलकाबाद में खतरनाक कार्गो के 15 कंटेनर और आईसीडी मुरादाबाद में मिश्रित कचरे के 50 कंटेनर शामिल थे।

यद्यपि कुछ नमूना मामलों के विस्तृत विश्लेषण में लेखापरीक्षा ने पाया कि खतरनाक कचरे के आयात करने की कार्यप्रणाली में अनिवार्य दस्तावेजों के बिना कार्गो का आयात, उच्च समुद्र बिक्री के माध्यम से नगरपालिका कचरे का आयात और कार्गो की गलत व्याख्या करके नगरपालिका कचरे का आयात शामिल है।

इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण इस प्रकार के आयात संभव हुए थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि खतरनाक कचरे के साथ कंटेनरों के पुन: निर्यात के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं के आभाव के परिणामस्वरूप ये कंटेनर अनिकासित पड़े हुए थे।

सीएजी की आधिकारिक वेबसाइट www.cag.gov.inपर डिजिटल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को देखा जा सकता है।